रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1600] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 5, 2009/आश्विन 13, 1931

No. 1600] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2009/ASVINA 13, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2009

का.आ. 2524(अ).—केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिजोरम सरकार के परामर्श से मिजोरम राज्य के ऐसे पौधों और पशुओं की जातियां जो नीचे सारणी के स्तंभ (2) की सूची के अनुसार लुप्त होने के कगार पर हैं अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	जातियों के नाम
(1)	(2)
	पौधे
1.	जैसमिनम वेंगीरी सी.ई.सी. फिशच
2.	मेंटीसिया वेंगरी सी.ई.सी. फिशच
3.	पैफीपीडिलम स्टेसीरिनियम फिट्ज
4.	पैफीपीडिलम विलोसम (लिंडज) स्टेन
5.	एक्यूलेरिया मालाकीनस
6.	हाइडनोकैरप्स कुर्जी
7.	डलबेरगिया पिनाटा वर ऐकिसियाफोलिया
8.	सिनामोमम एरोमेटिका
(1)	(2)
	पशु
1.	राइनोसिरोस सोनडिक्स डेसमेरस्ट, 1822
2.	डाइसिरोराइनस सुमात्रिनिस (फिशर, 1814)
3.	फेलिस मरमोराटा
4.	फेलिस टैमिनीकी
5.	आर्कटिकटिस बिनटोरोंग
6.	प्रिनोडोन पारडीकलर
7.	मुस्टीला कथिया
8.	हैलरक्टोस माल्यानस

2. सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध पौधों और पशुओं की जातियों के संग्रह का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही मिजोरम राज्य जैव विविधता बोर्ड के अनुमोदन के सिवाय प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान ;

(ख) वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थाओं के वनस्पति संग्रहालय और संग्रहालय ;

(ग) प्रचार ; और

(घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण ।

(3) मिजोरम राज्य जैव विविधता बोर्ड निम्नलिखित का भार अपने ऊपर लेगा —

(i) संपूर्ण समझ के लिए अधिसूचित जातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन ;

(ii) यथावत और पूर्ववत संरक्षण और पुनर्वास के प्रयोजन के लिए अधिसूचित जातियों का प्रचार ; और

(iii) वन विभाग कार्मिक, जैव विविधता प्रबंध समितियों, पारिस्थितिक पर्यटन कार्यक्रम और वनवासियों और जनजातियों के लिए अधिसूचित जातियों पर जानकारी कार्यक्रम आयोजित करना और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना ।

[फा. सं. 28-12/2008-सीएस-3]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2009

S.O. 2524(E).—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of Mizoram, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table below, for the State of Mizoram, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Species
(1)	(2)
	Plants
1.	Jasminum wengeri C.E.C. Fisch
2.	Mantisia wengeri C.E.C. Fisch
3.	Paphiopedilum spicerianim Pfitz
4.	Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein
5.	Aquilaria malaccensis
6.	Hydnocarpus kurzii
7.	Dalbergia pinnata var acaciaefolia
8.	Cinnamomum aromatica
	Animals
1.	Rhinoceros sondaicus Desmarest, 1822
2.	Dicerorhinus sumatrensis (Fischer, 1814)
3.	Felis marmorata
4.	Felis temmincki
5.	Arctictis binturong
6.	Prionodon pardicolor
7.	Mustela kathiah
8.	Helarctos malayanus

2. The collection of the species of plants and animals listed in column (2) of the Table shall be prohibited, except with the approval of the Mizoram State Biodiversity Board only for the purposes mentioned below, namely :—

(a) scientific research;

(b) herbarium and museum of scientific and academic institutions;

(c) propagation; and

(d) any other scientific investigation.

3. The Mizoram State Biodiversity Board shall undertake —

(i) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding ;

(ii) propagation of the notified species for the purpose of in situ and ex situ conservation and rehabilitation ; and

(iii) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]

A.K. GOYAL, Jt. Secy.